# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

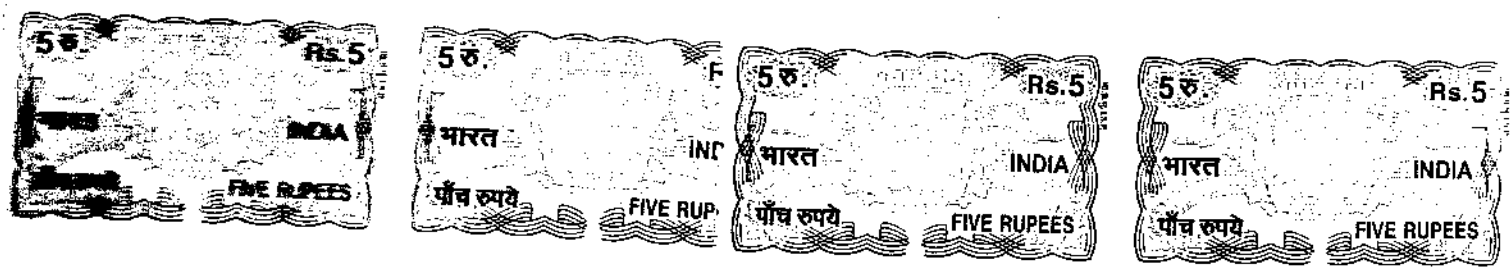

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

रामकृष्ण मिश्रा आ.श्रीराम हरक मिश्रा

निवासी–सादर बाजार होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद—— आवेदका/याचिकाकर्ता

विरूद्व

1.रविशंकर मिश्रा आ.श्रीराम हरक मिश्रा

निवासी–व्ही.–10 प्रियदर्शनी निलयम ई–10 एक्सटेंशन

तिलक नगर रोड़ भोपाल तह. व जिला भोपाल

2.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर

होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद —————— अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

## पुर्नविलोकन याचिका अंतर्गत धारा–51 म.प्र.भू.रा.संहिता:–

याचिकाकर्ता यह पुर्नविलोकन याचिका न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 3850– पीबीआर/15 विरूद्व आदेश दिनांक 08.06.2016 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 22/अभ्यावेदन/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 से क्षुब्द एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करती है।

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण कमांक रिव्यु 2120–पीबीआर/2016 जिला होशंगाबाद

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4.7.16 | आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3850–पीबीआर/2015 में पारित आदेश दिनांक 08–06–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।<br>2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–<br>1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।<br>2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।<br>3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों ।<br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |